<u>प्रेस नोट जनपद खीरी</u>

<u>दिनाँक 08.08.2022</u>

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में जनपद में अपराध नियंत्रण व अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के दौरान विगत 24 घंटे में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा निम्न कार्यवाही की गयीः—

<u>कोतवाली सदर पुलिस द्वारा, दुष्कर्म के पंजीकृत अभियोग में वांछित अभियुक्त श्रवण दास को गिरफ्तार किया गया</u>

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री संजीव सुमन के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में संपूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत आज दिनांक 08.08.22 को कोतवाली सदर पुलिस द्वारा मु0अ0स0 912/22 धारा 376/354(C)/500/504/506 भादवि व 67/67(A) आईटी एक्ट में वांछित अभियुक्त श्रवण दास पुत्र टीका दास को गिरफ्तार कर माननीय न्या0 भेजा जा रहा है।

दिनांक 07.08.2022 को थाना कोतवाली सदर पर श्री नन्हू लाल पुत्र कल्लू दास निवासी ग्राम टापरपुरवा थाना कोतवाली सदर जनपद खीरी द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर धारा 354(C)/500/504/506 भादवि व 67/67(A) आईटी एक्ट बनाम श्रवण दास पुत्र टीका दास निवासी कबीर आश्रम जगदीशपुर गौहरैया थाना इमलिया सुल्तानपुर जनपद सीतापुर पंजीकृत किया गया था। पंजीकृत अभियोग की विवेचना में यह प्रकाश मे आया कि अभियुक्त श्रवण दास कबीर पन्थी का अनुयायी है, जिसका कबीर आश्रम जगदीशपुर गौहरैया थाना इमलिया सुल्तानपुर जनपद सीतापुर मे है जो लोगो को अपना चेला बना गुरू ज्ञान देता था। मुकदमा उपरोक्त का वादी नन्हू लाल पुत्र कल्लू दास अभियुक्त श्रवण दास का करीब 02 वर्ष से चेला था व वादी मुकदमा अपने परिवार के साथ आय

दिन श्रवण दास के आश्रम पर जाया करता था व श्रवण दास भी वादी मुकदमा के घर आया करता था। श्रवण दास द्वारा वादी की पुत्री को बहला फुसलाकर अपनी बातो के झासें मे लाकर उससे कई बार अपने आश्रम व उसके घर ग्राम टापर पुरवा मे शारीरिक सम्बन्ध बनाया था। अभियुक्त श्रवण दास द्वारा दिनांक 20.07. 22 को वादी मुकमदा के घर ग्राम टापर पुरवा मे आया और वादी की पुत्री घर मे अकेली थी जो अपने घर के अन्दर बने बाथरूम ने नहा रही थी अभियुक्त द्वारा वादी की पुत्री पर जोर जबरदस्ती कर उसकी नग्न अवस्था की फोटो अपने मोबाइल से खीच लिया गया व दिनांक 24.07.2022 को उस फोटो को अपने मोबाइल से ही अपने फेसबुक जो महन्त श्रवण दास साहेब के नाम से बनी थी उसपर अपलोड कर दी गयी व लोगो को जानकारी होने पर अपना फेशबुक एकाउण्ट व पीड़िता की सारी फोटो डिलीट कर दिया गया, दौराने पूछताछ अभियुक्त श्रवण दास पुत्र टीका दास उपरोक्त द्वारा अपना जुर्म स्वीकार किया गया मुकदमा उपरोक्त मे धारा 376 भादवि की बढोत्तरी की गई थी।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

श्रवण दास पुत्र टीका दास नि0 कबीर आश्रम जगदीशपुर गौहरैया थाना इमलिया सुल्तानपुर जनपद सीतापुर

अभियुक्त के कब्जे से बरामदगी का विवरण-

घटना मे सम्मलित 01 अदद मोबाइल फोन

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. प्र0नि0 कोतवाली सदर, श्री चन्द्र शेखर सिंह
2. उ0नि0 चेतन प्रकाश तोमर
3. हे0का0 विजय शर्मा
4. का0 यतेन्द्र सिंह

थाना धौरहरा पुलिस द्वारा, 01 अदद अवैध तमंचा व कारतूस बरामद कर अभियुक्त इकलाख पुत्र इब्राहिम को गिरफ्तार किया गया

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री संजीव सुमन के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में संपूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व अवैध शस्त्रों के निर्माण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना धौरहरा पुलिस द्वारा आज दिनांक 08.08.2022 को उ.नि. श्री रामजीत यादव मय पुलिस फोर्सद्वारा रात्रि गस्त, तलाश वांछित/वारण्टी व चेकिंग संदिग्घ वस्तु/व्यक्ति/वाहन के दौरान 01 नफर अभियुक्त इकलाख पुत्र स्व0 इब्राहिम निवासी मो0 पठानवार्ड कस्बा व थाना धौरहरा जनपद लखीमपुर खीरी को जी0जी0आई0सी0 बालिका इण्टर कालेज कस्बा धौरहरा से गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से 01 अदद अवैध देशी तमंचा 12 बोर मय 01 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर बरामद हुआ है। अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय भेजा जा रहा है।

पंजीकृत अभियोग का विवरण-

मु0अ0सं0 512/2022 धारा 3/35 आयुध अधि0, थाना धौरहरा, खीरी

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

इकलाख पुत्र स्व0 इब्राहिम निवासी मो0 पठानवार्ड कस्बा व थाना धौरहरा जनपद खीरी

बरामदगी-

01 अदद अवैध देशी तमंचा 12 बोर मय 01 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 रामजीत यादव
2. का0 वतन त्यागी
3. का0 लवी सिन्धू

थाना धौरहरा पुलिस द्वारा, गोकशी के अभियोग मे वांछित अभियुक्त दाऊद पुत्र शरीफ को अवैध तमंचा व कारतूस सहित गिरफ्तार किया गया

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री संजीव सुमन के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में संपूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व अवैध शस्त्रों के निर्माण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना धौरहरा पुलिस द्वारा आज दिनांक 8.08.2022 को मु0अ0सं0 508/2022 धारा 3/5/8 उ0प्र0 गोवध निवारण अधिनियम, थाना धौरहरा, खीरी के वांछित अभियुक्त दाऊद पुत्र शरीफ निवासी मो0 पठानवार्ड कस्बा व थाना धौरहरा जनपद लखीमपुर खीरी को मा0 विधायक श्री विनोद शंकर अवस्थी जी के ट्यूबेल के पास से गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से 01 अदद अवैध देशी तमंचा 315 बोर मय 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद हुआ है। अभियुक्त के विरुद्ध थाने पर विधिक कार्यवाही करने व सुसंगत धाराओ मे अभियोग पंजीकृत कराने के उपरान्त नियमानुसार पेशी हेतु मा0 न्यायालय के समक्ष रवाना किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
दाऊद पुत्र शरीफ निवासी मो0 पठानवार्ड कस्बा व थाना धौरहरा जनपद लखीमपुर खीरी

पंजीकृत अभियोग का विवरण-
मु0अ0सं0 511/2022 धारा 3/25 आयुध अधि0, थाना धौरहरा, खीरी

बरामदगी-
01 अदद अवैध देशी तमंचा 315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-
1- उ.नि. श्री रामजीत यादव
2- का0 लवी सिन्धू
3- का0 वतन त्यागी

थाना पसगवां पुलिस द्वारा, गैर इरादतन हत्या के वांछित अभियुक्त सुशील कुमार पुत्र स्व0 रामसनेही को गिरफ्तार किया गया

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में संपूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत आज दिनांक 08.08.2022 को थाना पसगवां पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 361/22 धारा 304 भादवि में वांछित/नामितअभियुक्त सुशील कुमार पुत्र स्व0 रामसनेही निवासी चोरहा खुर्रमनगर थाना पसगवां जनपद खीरी को उसके घर से बाहर वह्द ग्राम चोरहा खुर्रमनगरथाना पसगवां जनपद खीरी से गिरफ्तार किया गया। जिसका चालान माननीय न्यायालय किया गया ।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

सुशील कुमार पुत्र स्व0 रामसनेही नि0 चोरहा खुर्रमनगर थाना पसगवां जनपद खीरी

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. निरीक्षक अपराध श्री संदीप कुमार यादव थाना पसगवां जनपद खीरी
2. उ0नि0 अजीत कुमार थाना पसगवां जनपद खीरी
3. का0 अभिषेक पाण्डेय थाना पसगवां जनपद खीरी
4. का0 कपिल कुमार थाना पसगवां जनपद खीरी

थाना फरधान पुलिस द्वारा, 01 नफर वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में संपूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित/संदिग्ध अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत आज दिनांक 08.08.2022 को थाना फरधान पुलिस द्वारा 01 नफ़र अभियुक्त अरुण कुमार तिवारी पुत्र शिवराम नि0ग्राम अम्बूपुर थाना फरधान जिला खीरी सम्बन्धित अ0सं0 1309/12 धारा 323/353/332 को गिरफ्तार कर सम्बन्धित न्यायालय पेश करने लखीमपुर खीरी भेजा गया ।

<u>गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-</u>

1. उ0नि0 राजेन्द्र कुमार तिवारी
2. का0 धर्मेन्द्र कुमार
3. हो0गा0 ओमकार

थाना धौरहरा पुलिस द्वारा 01 अदद अवैध चाकू सहित अभियुक्त गुरफान पुत्र रमजान अंसारी को गिरफ्तार किया गया

पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में संपूर्ण जनपद में अवैध शस्त्रों के निर्माण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना धौरहरा पुलिस द्वारा अभियुक्त गुरफान पुत्र रमजान अंसारी निवासी मो0 पठान वार्ड कस्बा व थाना धौरहरा जनपद खीरी को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद अवैध चाकू बरामद किया गया। उक्त बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर मु0अ0सं0 509/2022 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गई।

थाना सिंगाही पुलिस द्वारा सार्वजनिक स्थान पर जुआ खेलते हुए 04 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में संपूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व समाज विरोधी अवैध क्रिया-कलापों के विरुद्ध चलायें जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना सिंगाही पुलिस द्वारा सार्वजनिक स्थान पर जुआ खेलते हुए 04 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से 52 अदद ताश के पत्ते व कुल 1850 रू0 बरामद किया गया। उक्त बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर मु0अ0सं0 228/22 धारा 13 जुआ अधि0 पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की गयी है।

थाना सिंगाही पुलिस द्वारा सार्वजनिक स्थान पर जुआ खेलते हुए 05 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में संपूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व समाज विरोधी अवैध क्रिया-कलापों के विरुद्ध चलायें जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना सिंगाही पुलिस द्वारा सार्वजनिक स्थान पर जुआ खेलते हुए 05 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से 52 अदद ताश के पत्ते व कुल 2100 रू0 बरामद किया गया। उक्त बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर मु0अ0सं0 229/22 धारा 13 जुआ अधि0 पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की गयी है।

वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन मे व अपर पुलिस अधीक्षक खीरी के निकट पर्यवेक्षण में सम्पूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के दौरान जनपद के विभिन्न थानों द्वारा कार्यवाही निम्नकार्यवाहीकीगईहै:-

1. थाना कोतवाली सदर पुलिस द्वारा, मु0अ0सं0 909/22 धारा 279/337/338/304A भादवि व 184 MV Act में वांछित अभियुक्त जय कुमार मौर्य पुत्र रामजीवन निवासी बाबापुरवा थाना हैदराबाद जनपद खीरी को गिरफ्तार किया गया।

2. थाना भीरा पुलिस द्वारा, मु0अ0सं0 261/22 धारा 457/380/411 भादवि में वांछित अभियुक्त रवि अग्निहोत्री पुत्र नवीन अग्निहोत्री निवासी भानपुर थाना भीरा जनपद खीरी को गिरफ्तार किया गया।

3. थाना पलिया पुलिस द्वारा, मु0अ0सं0 02/22 धारा 323/506 भादवि में वारण्टी अभियुक्तगण 1. राधेश्याम पुत्र उदयराज, 2. बलराम पुत्र ग्यान सिंह, 3. ननहूराम पुत्र गजोधर निवासीगण वशीनगर थाना पलिया जनपद खीरी को गिरफ्तार किया गया।

<u>अवैध शराब के विरूद्ध कार्यवाही, विगत 24 घंटे में 170 लीटर अवैध शराब बरामद कर 13 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया</u>

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री संजीव सुमन के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में जनपद खीरी में अवैध शराब के निष्कर्षण व बिक्री के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत विगत 24 घंटे में जनपद खीरी के विभिन्न थानों द्वारा कार्यवाही करते हुए **170 लीटर अवैध** कच्ची शराब व **02 शराब भट्टी** बरामद कर **13 अभियुक्तों** को गिरफ्तार कर आबकारी अधिनियम के अंतर्गत **11 अभियोग** पंजीकृत किए गए।